न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या - 10/2020
दायरा दिनांक - 24.07.2020
निर्णय दिनांक - 6-4-21

उनवान

1. कलावती पत्नी इन्द्राज जाति अहीर निवासी कान्जीपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थीया

बनाम

1. बोबड पुत्र मांग्या
2. छाजू पुत्र भूरा
3. मेहरसिंह पुत्र भूरा
4. बिमला पुत्री भूरा व श्रवण देवी
5. मुन्नी पुत्री भूरा व श्रवण देवी
6. बिमला पत्नी हनुमान
7. सन्तोष देवी पत्नी हरपाल
8. प्रियन्का पुत्री हरपाल

समस्त जातियान अहीर समस्त निवासीयान कान्जीपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

9. अरूण कुमार पुत्र जौहरीलाल जाति अहीर फौलादपुर तहसील नीमराणा जिला अलवर
10. नन्दराम पुत्र बंशी जाति अहीर निवासी बालावास तहसील बानसूर जिला अलवर
11. राजेन्द्र पुत्र बंशी जाति अहीर निवासी बालावास तहसील बानसूर जिला अलवर
12. तहसीलदार कम उप पंजीयक महोदय बानसूर बहैसियत लैण्डहोल्डर बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- अप्रार्थीगण

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.
2. अप्रार्थी - श्री धर्मपाल चौधरी एड. अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09
   श्री लोकेश शर्मा एड. अप्रार्थी संख्या 10,11

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:55:40 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 एल.आर.एक्ट के

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 1.30 हैक्ट आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 0.01 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 0.26 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 हैक्ट., वाके मौजा कांजीपुरा तहसील बानसूर की विवादित आराजी है जो वादीया/प्रार्थीया एवं प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 सामलात में काश्त करते आ रहे है। परन्तु अब इनके साथ काश्त करना सम्भव नही है क्योकि वे विवादित आराजी पर काश्त करने में कोई रूची नही लेते है साथ ही प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बिना विधिवत विभाजन करवाये ही जबरदस्ती आम रास्ते के साथ लगते भाग पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करवाने पर उतारू है। वादीया/प्रार्थीया ने प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 को विवादित आराजी का बंटवारा करने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया और दिनांक 08.06.2020 को खुलेआम कहा कि वे विवादित आराजी के अच्छे व ऊपजाउ तथा आम रास्ते से लगते भाग पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर उसे ऊंची कीमत पर बेचान करके रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये तो वादीया/प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नही होगी और साथ ही मुकदमेबाजी को भी बढावा मिलेगा। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 07 लगायत 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीया का वादपत्र कतई गलत, बिना तथ्यों के खिलाफ कब्जा खिलाफ मौका पेश किया गया है जो अनेक प्रकार के दोषपूर्ण होने के कारण चलने योग्य नही है, खारिज योग्य है। दरख्वास्त भी कतई गलत व खिलाफ कब्जा मौका पेश की गई है। विवादित आराजी केवल मात्र सम्मिलित खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है जबकि उसका मौके पर आज भी करीब 20-30 साल से अधिक समय से बंटवारा हो रहा है। वादीया अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 355 में 9148 भाग जिसका रकबा करीब 72 ऐयर है मौके पर आपकी बंटवारा आधार पर खसरा नम्बर 351 के बतरफ दक्षिण के भाग पर अलग खेत बना कर काश्त कर रही है तथा इसी तरह हम प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 11 एवं खरीददार सुमन देवी भी आपसी बंटवारा के आधार पर अपने-अपने हिस्से की भूमि में काश्त कर रहे है। वादीया/प्रार्थीया का यह कहना कि विवादित आराजी सामालात में ही काश्त करते आ रहे है। मनमाना एवं गलत व खिलाफ कब्जा मौका कथन है जो स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थीया द्वारा यह वाद[illegible] संख्या 01 बोबड ने खसरा नम्बर 351 के 6/35 भाग को जरिये रजि0 बयना[illegible] सं. 759 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा सुमन देवी पत्नी रतन सिंह यादव सा. कान्[illegible] को विक्रय कर दिया है कि नाराजगी की वजह से पेश किया है [illegible] मौके पर विभाजित है कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:55:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

विवाद नही है। पुनः बंटवारा किया जाना संभव नही है। मुताबिक कानून प्रार्थीया हम सह काश्तकारो को अपने हिस्सा विक्रय करने से रोकने का अधिकार नही रखती है। प्रार्थीया द्वारा यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र खरीददार सुमन देवी का इन्तकाल बय रूकवाने एवं नुकसान पहुचाने की नियत से पेश किया जो काबिले खारिज है।

अप्रार्थी संख्या 10 व 11 ने जवाब पेश कर निवेदन हम विवादित आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 हैक्ट. में 1/2 भाग के खरीदसुदा काबिज काश्तकार है जो आराजी हमारे खरीद से पूर्व ही बोबड वगै. व हमारे विक्रेतागण कमला देवी पत्नी जयसिंह व रेवती देवी पत्नी रामप्रताप व रामानन्द पुत्र रामप्रताप अपनी के बीच विभाजित हो रही थी। जिस आराजी के बतरफ पूर्व के उत्तर-दक्षिण लम्बे 1/2 भाग पर हमारी उपरोक्त विक्रेतागण काबिज थे और उसी स्थान पर आज दिन हम अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 अपने विक्रेतागण के पदचिन्हो पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा खसरा नम्बर 355 के बतरफ पश्चिम के 1/2 भाग पर बोबड प्रतिवादी व वादीया कलावती काबिज है। ताईद में नजरी नक्शा आपसी विभाजन मुताबिक कब्जा मौका संलग्न है। खसरा नम्बर 355 के अलावा अन्य विवादित आराजी भी अरसे दराज से मौके पर विभाजित होकर काश्त की जा रही है। आपसी विभाजन का अमल कागजात मात्र ना होने के कारण ही ये आराजीयात राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर विभाजित की जाकर काश्त की जा रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमारे द्वारा विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी वकील द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :-

1. आरआरटी 2016-17 (supp.) पेज नं. 637 उनवान मलकियत कौर व अन्य बनाम मल्कीयत कौर व अन्य निर्णय दिनांक 06.02.2017 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर।
2. आरआरटी 2016-17 (supp.) पेज नं. 640 उनवान ताराचन्द बनाम भगवान समक्ष निर्णय दिनांक 11.05.2017 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर।
3. आरआरटी 2006 (2) पेज नं. 1410 उनवान मदनलाल व नाम टिंकूराम व अन्य निर्णय दिनांक 15.02.2006 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर।
4. आरआरटी 2020 (2) पेज नं. 1122 उनवान दलीप बनाम अजय व अन्य निर्णय दिनांक 30.09.2019 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर।

हमारे द्वारा विद्ववान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जेकाश्त की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 द्वारा उक्त आराजी के पूर्व खातेदारान से जर्ये रजि. बयनामा से खरीद की गई है तथा विक्रेतागण के पद चिन्हो पर काबिज काश्त है तथा वे उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार सह खातेदार है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि को जरिये बयनामा संख्या 759 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:55:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र 212 एलआरएक्ट

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

16.06.2020 द्वारा विक्रेता सुमन देवी को विक्रय की है जिसके नामान्तकरण को रोकने के नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि सभी सह खातेदारान अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से वे अपनी आराजी के उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेंगे जो उनके खातेदारी अधिकारो का हनन होगा। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार रिकार्डेड खातेदार/सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती। प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रही है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट अस्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 1.30 हैक्ट, आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 0.01 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 354 रकबा 0.26 हैक्ट., आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.65 हैक्ट., वाके मौजा कांजीपुरा तहसील बानसूर पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2020 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक ...6-4-21... को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:55:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner